2025/588

03.9.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

ओमप्रकाश बनाम जगमालराम आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 56 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.06.2025	प्रार्थी ओमप्रकाश की तरफ से वकील श्री अनिल सिहाग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 5 केएचडी के खाता सं. 37/38 के प.नं. 229/50(10) कि.नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 21 ता 25 की 5.313 है., चक 5 केएचडी के खाता सं. 38/96 के प.नं. 229/58(9) कि.नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 की 6.200 है., चक 2 केडीएम के खाता सं. 42/140 के प.नं. 9/17(78) कि.नं. 7/2 की 0.126 है भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 07.07.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
7.7.2025	वकील प्रार्थी उपस्थित/PO उपस्थित नहीं। पत्रावली दिनांक 4.9.2025 को पेश हो	
9.9.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र निकाल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने दिनांक [illegible] को राजीनामा होने के कारण प्रार्थना-पत्र वापस लेना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति [illegible] रखना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	राजीनामा होने के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं आवश्यक है। 3/7/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.09.12 18:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी